

भारतीय परिवार में परिवार का परिचयात्मक विवरण

Mamta Kumari^{1*} Dr. Mohammad Kamil²

¹ Research Scholar, Shri Venkateshwara University, Gajraula, Uttar Pradesh

² PhD, NET, Assistant Professor, Shri Venkateshwara University, Gajraula, Uttar Pradesh

सार – अनादि काल से परिवार को समाज की आधारभूत इकाई माना जाता रहा है। मानव समाज के लिए परिवार न केवल आवश्यक है, अपितु एक सुरक्षित एवं आदर्श संस्था भी है, क्योंकि यह समाज की निरंतरता को बनाये रखने का एक प्रमुख माध्यम है। एक सर्वव्यापी संस्था के रूप में अतीत में परिवार ने इतने महत्वपूर्ण कार्य किये हैं कि इन्हीं कार्यों के कारण परिवार को “सामाजिक जीवन का मौलिक प्रतिनिधि” माना जाता है। आज इन्हीं कार्यों में परिवर्तन उत्पन्न हो गये हैं। भोजन, आवास और यौन संतुष्टि जैसे मौलिक कार्य आज के आधुनिक परिवार भी करते हैं, लेकिन इन कार्यों को करने की विधियाँ एवं इनसे संबंधित मूल्यों में परिवर्तन हो रहे हैं।

-----X-----

परिचय

परिवार एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था तथा मानव समाज की प्राथमिक एवं मौलिक इकाई है। जो विवाह, सामूहिक निवास, भावनात्मक बंधन और घरेलू काम-काज की शर्तों आदि के आधार पर संगठित हुआ है। यौन व्यवहार को नियंत्रित करने, बच्चों को संरक्षण प्रदान करने, आपसी शांति, सुरक्षा और मनोरंजन आदि मानवीय आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए परिवार का सृजन हुआ है।

समाज की विराटता के समक्ष परिवार लघु किंतु आधारभूत संस्था है। रक्त अथवा विवाह से संयुक्त परन्तु वय, पीढ़ी, प्रस्थिति, भूमिका व व्यक्तित्व से विभेदीकृत स्वजनों के अतिसंबन्धों की परिवर्तनशीलता इसे जटिल बना देती है। आवश्यकतापूर्ती तथा अवलम्बों की इसकी विशेष भूमिका निजी तकलीफों एवं सार्वजनिक विषयों के मध्य बिचैलियों की सी है। समाज के लिए यदि परिवार की प्रकार्यत्मकता अनिवार्य है तो व्यक्ति के लिए इसका कुशल निष्पादन पूर्व आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया गया है। अनेक भूमिकाओं तथा प्रस्थितियों का यह संकुल वह निजी सामाजिक समूह है जिसमें घटित प्रक्रियायें काफी हद तक अदृश्य होती हैं। परिवार के सदस्यों के मध्य अंतरंग अंतःक्रियायें होती हैं, अतएव यह तीव्र भावुक तथा परिणाम भी होता है। परिवार में परिवर्तनों तथा परिवार की विभिन्नताओं एवं इसके कारकों की खोज समाज वैज्ञानियों ने बृहत्तर सामाजिक संरचना की प्रक्रियाओं में की है। इसके साथ

ही समाज व्यवस्था में परिवार के समर्थनकारी योगदान पर अनेक अनुसंधान कार्य किये गये हैं।

समाजीकरण जैसी मौलिक सामाजिक प्रक्रिया तथा मानवीय जीवन यापन के अन्यान्य पक्षों में परिवार की सकारात्मकता भी शोध का प्रिय क्षेत्र रहा है। परन्तु औद्योगिक क्रान्ति के दौरान परिवार की समाज वैज्ञानिक समझ में उन पक्षों की ओर ध्यान दिया जाने लगा जो पूर्ण अथवा आंशिक रूप में परिवार के सदस्यों के अन्तर्सम्बन्धों तथा अन्तर्वैयक्तिक प्रक्रियाओं के आदर्श प्रतिमान नहीं रह गये थे। ‘परिवारिक विघटन और मनोविश्लेषण के अन्तर्गत उद्घाटित व्यक्तित्वपरक तथ्यों ने समाज वैज्ञानिकों के समक्ष परिवार के मूल्यांकन सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित कर दिये हैं। किन्तु समाज विज्ञान की प्रत्यक्षवादी प्रकृति के सामाजिक मूल्यों के प्रति आग्रह के कारण पश्चिमी समाज वैज्ञानिकों ने समाज व्यवस्था में परिवार की समायोजनात्मक पहलू को प्रमुखता दी। इस धारा के प्रधान अमेरिकी प्रकार्यवादी वैचारिक सम्प्रदाय के सदस्य थे। द्वितीय विश्वयुद्ध ने पश्चिमी जगत में परिवार के अस्तित्व के समक्ष खतरे उत्पन्न कर दिये। तब आधुनिक प्रकार्यवादी सिद्धांतकार परिवार के श्आदर्श-प्रारूप को समाज व्यवस्था की ऐसी संरचना के रूप में प्रस्तुत करते थे।

जिसकी प्रकार्यत्मकता तथ्यों के अनुकूल सिद्ध होती थी। आधुनिक समाज विज्ञान के प्रवर्तक, जिन्होंने परिवार का समाज-वैज्ञानिक विश्लेषण किया है, भी इनसे प्रेरित कहे जा

सकते हैं। भारतीय उपनिवेशवाद तथा स्वतंत्र भारत की गम्भीर सामाजिक-आर्थिक प्रक्रियाओं में से भारतीय परिवार के विश्लेषण हेतु मुख्य रूप से उन्हीं का उपयोग किया गया, जिनकी चर्चा पश्चिमी दुनिया में कई दशकों से हो रही थी, यथा पश्चिमीकरण, औद्योगीकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण एवं वैश्वीकरण का परिवार के स्वरूप पर प्रभाव, एकाकी परिवार का विकास, आब्रजन से उत्पन्न पारिवारिक समस्याएँ।

परम्परागत भारतीय समाज में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार, पिछड़ी जातियों के उभार तथा भारत के नगरीय क्षेत्रों में बृहद मध्यम वर्ग के उदय के संदर्भ में परिवार की अनेक प्रक्रियाएँ परिवार सम्बन्धी अनुसंधानों में गौण ही रहीं। लगभग एक दशक पूर्व यह टिप्पणी भारतीय समाज विज्ञान के इस अभाव का इशारा करती है कि भारतीय परिवार व्यवस्था में संघर्ष अत्यधिक हैं परन्तु इनकी ओर ध्यान नगण्य है। परिवार संरचना के अध्ययनकर्ताओं में यह सामान्य उदासीनता दिखायी पड़ती है। परिवार के अन्तःस्थल में क्या हो रहा है? पारिवारिक सदस्यों के अन्तर्सम्बन्धों में क्या संकट है? दिन-प्रतिदिन के जीवन में रहन-सहन में किस प्रकार के तनाव होते हैं? समाजीकरण, पालन-पोषण, भूमिका निर्वाह के द्वंद्व क्या हैं? पारिवारिक संघर्ष की प्रक्रिया क्या है और इसके परिणाम क्या निकलते हैं? बदलते मूल्यों का परिवार संस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इस प्रकार की समाज वैज्ञानिक जिज्ञासायें तेजी से बदलते हुये व्यापक सामाजिक आर्थिक परिवेश में पारिवारिक शोध के लिए महत्वपूर्ण हैं। समाज वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों में परिवार के ऐसे पक्ष उद्घाटित किये जो परिवार की प्रकार्यात्मकता से परे जाकर पारिवारिक तनाव और संघर्ष को प्रकट करते हैं। कूपर, लेंग और लीच ने पश्चिमी औद्योगिक समाजों के दुःखद अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में परिवार की अन्तः संरचना में सदस्यों पर नकारात्मक एवं विघटनकारी प्रभावों का उल्लेख किया है।

विगत दशकों में भारत में सामाजिक विज्ञान की परिधि के अन्तर्गत महिला अध्ययन ने परिवार को भी अपना शोध-क्षेत्र बनाया और महिलाओं को केन्द्र में रखकर जो तथ्य खोजे वे परिवार की रूढ़िवादी अवधारणा को तोड़ते हैं। इन शोधकर्तों का कलारानी, ओस्टोर, आगस्टीन, बीना अग्रवाल, देवकी जैन और निर्मल बनर्जी, लीला दूबे, एलेनोर लीकाक और शर्ले आरडेनर, नीरा देसाई और मैत्रेयी कृष्णाराज, रंजनी कुमारी, लीला दुबे और रजनी पलरीवाला, 12 मैत्रेयी कृष्णाराज और करुणा चनाना आदि की पुस्तकों में विस्तृत उल्लेख है। इनके निरीक्षणों से पारिवारिक संघर्ष का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष यथार्थ भी उद्घाटित होता है।

अध्ययन का उद्देश्य:-

1. इस शोध का प्रथम उद्देश्य भारतीय परिवार में वर्तमान समय में होने वाले संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक परिवर्तन को जानना है।
2. इस शोध का द्वितीय उद्देश्य भारतीय परिवार में होने वाले आधुनिक परिवर्तन के कारकों को जानना।

भारतीय संदर्भ में परिवार के अध्ययन:-

भारतीय समाज व्यवस्था में नातेदारी एवं परिवार-संगठन के विवेचन के प्रथम प्रयास उन्नीसवीं शताब्दी में आरम्भ हुये। बुलोराम मल्लिक और पंडित रमाभाई द्वारा शास्त्रीय स्रोतों के आधार पर की गई विवेचना की परम्परा को जे.डी. मेन इरावती कर्वे, एम.वी. करान्दिकर, 18 ए.एस. आल्टेकर, आर.बी. पांडे और पी0वी0काणेष् आदि ने बढ़ाया। परन्तु ये परिवार के आनुभविक अध्ययन नहीं थे, इनमें भारतीय शास्त्रों, पुराणों, उपनिषदों, महाकाव्यों और धर्मशास्त्रों की सहायता से परम्परागत दृष्टिकोण की विवेचना की गई थी। इन्होंने भारत शास्त्रीय उपागम के द्वारा भारतीय समाज के परिवार एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं के वैचारिकीय एवं वैधानिक पक्षों को लिया। इनमें आधुनिक समाज वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव था किन्तु क्षेत्रीय अध्ययनों के लिए पर्याप्त पूर्वज्ञान उपलब्ध था। परिवार के आरंभिक अध्ययनों की अगली अवस्था में के.एम. कापडिया ने हिन्दू किनशिप तथा मैरेज एण्ड फैमिली इन इंडिया में नातेदारी, विवाह एवं परिवार के परिवर्तनशील विकास को प्रस्तुत किया। इस अवस्था में अन्य उल्लेखनीय कार्य पी0एच0प्रभु का हिन्दू सोशल आर्गनाइजेशन, ईरावती कर्वे के लेख एवं विभिन्न पुस्तकें तथा लेख, जी.एस. घुरिये की रचना तथा कार्यों को माना गया है। लीला दुबे, एम.एन. श्रीनीवास और आइ0पी0 देसाई के अध्ययन भी इन आरंभिक अध्ययनों की श्रेणी में रखे जाते हैं।

आधुनिक समाज विज्ञान के क्षेत्र में हिन्दू परिवार की विवरणात्मक व्याख्या सर्वप्रथम श्यामाचरण दुबे, एम0एस0 गोरे, इरावती कर्वे और डी0जी0 मेण्डलबाम ने की। इनकी व्याख्या ही परिवार सम्बन्धी आनुभविक शोधों तथा सैद्धांतिक समझ का तदोपरांत आधार बनी। इन अध्ययनों की पृष्ठभूमि वह भारतीय समाज है, जिसकी स्वतंत्रता के उपरांत नियोजित विकास और औद्योगीकरण, लोकतांत्रिक अनुभवों, और बदले हुये परिवार सम्बन्धी तथा सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनों के अनुसार आरंभिक अवस्था विकसित हो रही थी। भारतीय समाज की सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, जातीय एवं वर्गीय विविधताओं में परिवार पर अनुसंधान किये गये हैं। वर्तमान अध्ययन के

सम्बन्ध में परिवार की अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए प्राथमिक कार्यों में जो समाज वैज्ञानिक, विचार प्रमुख हैं उनमें से निम्नलिखित का उल्लेख किया जा सकता है।

कापड़िया ने अपने अध्ययन में संयुक्त परिवार के तथ्यों में यह व्यक्त किया है कि परिवार के सदस्य संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं और इसके लाभों में परस्पर आर्थिक सहायता, संकटकाल में शरण, पति-पत्नी के मध्य तनाव पर नियंत्रणकारी प्रभाव आदि हैं। कापड़िया अपने अध्ययन को प्रकार्यात्मक मानते हुये पारिवारिक संघर्ष की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। उनके अनुसार संयुक्त परिवार प्रत्येक सदस्य को मिले सम्पत्ति अधिकारों के बावजूद जारी है। यद्यपि उनके दो प्रकार विकसित हुये हैं-

1. सह आवासीय एवं प्रकार्यात्मक संयुक्त परिवार, तथा
2. मात्र प्रकार्यात्मक संयुक्त परिवार

परिवार का स्वरूप बदल सकता है किन्तु इसके प्रकार्य नहीं। परिवार को सम्बन्धों का एक समुच्चय कहा जा सकता है। हिन्दू परिवार सम्बन्धी प्राथमिक कार्यों में एलिन डी. रॉस का हिन्दू फेमिली इन इट्स अरबन सैटिंग की चर्चा आवश्यक है। रॉस ने हिन्दू परिवार पर औद्योगिक तथा तकनीकी प्रभाव का अनुभाविक अध्ययन प्रकाशित किया था। इस अध्ययन में संयुक्त परिवार को हिन्दू समाज की केन्द्रीय संस्था माना गया है। अध्ययन से पता चलता है कि सदस्य संस्था की तुलना में भूमि की कमी तथा नगरों में रोजगारों के बढ़ते हुये अवसरों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से आव्रजन हुआ है। इससे बड़े संयुक्त परिवार टूट गये हैं।

पारिवारिक सत्ता के लिए सास और बहू के मध्य संघर्ष को रॉस सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताते हैं। इसके अतिरिक्त, माँ और बेटा, माँ और बेटे तथा भाई एवं बहन के मध्य बदलते हुये सम्बन्ध भावनाओं की उपसंरचना को परिवर्तित कर देते हैं। नये प्रकार के परिवार में पति और पत्नी के सम्बन्ध निकट के हैं।

परिवार के प्रकार्य (Functions of the Family)

परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। मानव ने अनेक आविष्कार किये हैं, किन्तु कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाया है जो परिवार का स्थान ले सके। इसका मूल कारण यह है कि परिवार द्वारा किये जाने वाले प्रकार्य अन्य संघ एवं संस्थाएँ करने में असमर्थ हैं। परिवार के प्रमुख कार्यों में प्राणिशास्त्रीय प्रकार्य जैसे यौन संतुष्टि, मृत्योपरान्त नये सदस्यों की पूर्ति,

शारीरिक प्रकार्यों में शारीरिक संरक्षण एवं शैशव कालीन सुरक्षा जैसे भोजन निवास आदि, आर्थिक कार्यों में वंशगति सम्पत्ति का हस्तान्तरण उत्पादन एवं उपभोग की व्यवस्था सुनिश्चित करना, परिवार के दायित्व में धार्मिक कृत्य भी आता है। इसके अतिरिक्त परिवार समाजीकरण का मुख्य अभिकरण है साथ ही साथ सामाजिक नियन्त्रण का भी मुख्य आधार होता है। मनोरंजन एवं परिवार के सदस्यों को मनोवैज्ञानिक संरक्षण देना भी परिवार के महत्वपूर्ण प्रकार्यों में आता है।

परिवार का बदलता स्वरूप (Changing Pattern of Family):-

परिवर्तन एक सार्वभौमिक तथ्य है। समाज और उसका कोई भी अंग परिवर्तन के प्रभाव से बच नहीं सका है। 18वीं सदी के अन्त से ही यूरोप में और भारत में 19वीं सदी से ही जबकि औद्योगीकरण एवं नगरीकरण में वृद्धि हुई, परिवार में अनेक परिवर्तन प्रारम्भ हुए। औद्योगीकरण से पूर्व परिवार एक उत्पादनशील इकाई था, किन्तु औद्योगीकरण होने पर उत्पादन कारखाने में होने लगा, पति, पत्नी और बच्चे सभी कारखानों में काम पर जाने लगे। इससे बच्चों की उपेक्षा हुई, पिता का परिवार पर नियन्त्रण शिथिल हुआ एवं सदस्यों की स्वतन्त्रता एवं व्यक्तिवादिता में वृद्धि हुई। औद्योगीकरण ने स्त्रियों को आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान की। वे पुरुष की आर्थिक दासता से मुक्त हुई। अब स्त्री घर की चारदीवारी से बाहर आयी और घर अस्त-व्यस्त हुआ। स्त्री-पुरुषों में समानता की मांग हुई। राज्य और उसके कार्यों के विस्तार ने भी परिवार के कई कार्य हथिया लिये। नगरीकरण के कारण लोग गाँव छोड़कर शहरों में जाने लगे।

शहरों में एकाकी परिवारों की बहुतायत पायी जाती है तथा वहाँ परिवार में स्त्री-पुरुषों को अधिक स्वतन्त्रता एवं अधिकार प्राप्त हैं। आधुनिक चिकित्सा एवं औषधि विज्ञान ने भी परिवार कल्याण कार्यक्रम में सहयोग देकर परिवार के आकार को छोटा किया है। पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति, व्यक्तिवादी विचार, यातायात से नवीन साधनों एवं विभिन्न प्रकार के संघों एवं संगठनों के निर्माण ने भी परिवार की संरचना एवं प्रकार्यों को प्रभावित किया है और उसमें अनेक परिवर्तन लाने में योग दिया है। परिवार में आने वाले प्रमुख परिवर्तन निम्न प्रकार हैं:

1. अब परिवार केवल एक उपभोग की इकाई ही रह गया है, निर्माण एवं उत्पादक इकाई नहीं।
2. परिवार का आकार छोटा हो गया है। माता-पिता और बच्चों के अतिरिक्त परिवार में अन्य सम्बन्धी

साधारणतः नहीं रहते। परिवार में बच्चों की संख्या घटी है। अब निर्बाध गति से बच्चों को जन्म देना उचित नहीं माना जाता।

3. परिवार के कार्यों में परिवर्तन हुआ है। पहले परिवार उत्पादन एवं उपभोग की इकाई था। सारा निर्माण कार्य परिवार में ही होता था। परिवार में ही व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती, शिक्षा-दीक्षा, लालन-पालन, बीमारी एवं वृद्धावस्था में सेवा सुश्रुषा होती थी, किन्तु अब परिवार के इन कार्यों को अन्य संस्थाओं ने ग्रहण कर लिया है। लालन-पालन का कार्य अब नर्सरी में तथा शिक्षा प्रदान करने का कार्य स्कूलों में होता है। अनाथों एवं वृद्धों के लिए अनाथालय, पुअर होम एवं रेनबसेरों का प्रबन्ध किया गया है। खाने के लिए होटल एवं रेस्तरां तथा वस्त्र धोने के लिए लाउण्ड्री का उपयोग बढ़ा है। चिकित्सा तथा शिशु एवं मातृ-कल्याण का कार्य अस्पताल, आदि कर रहे हैं।
4. परिवार के सहयोगी आधार में कमी आयी है। अब परिवार का सदस्य अन्य सदस्यों की तुलना में स्वयं के बारे में ही अधिक सोचने लगा है। वह व्यक्तिवादी होता जा रहा है।
5. पति-पत्नी के सम्बन्धों में परिवर्तन हुआ है। अब पति परमेश्वर की धारणा के स्थान पर मित्र एवं साथी के भाव पनपे हैं। स्त्री अब पुरुष के पाँव की जूती नहीं समझी जाती और न ही पति निरंकुश शासक।
6. विवाह और यौन सम्बन्धों में परिवर्तन हुआ है। अब विवाह एक धार्मिक संस्कार न रहकर समझौता मात्र रह गया है जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकता है। अब अन्तर्जातीय विवाह व प्रेम विवाह होने लगे हैं। जीवन-साथी का चयन अब माता-पिता के स्थान पर स्वयं लड़के-लड़की करने लगे हैं।
7. परिवार में पिता के अधिकारों में ह्रास हुआ है और पारिवारिक निर्णयों में परिवार के अन्य सदस्यों की भी सलाह ली जाने लगी है।
8. स्त्रियों को सम्पत्ति में अधिकार मिला है। इससे पूर्व केवल पुरुष ही परिवार की सम्पत्ति में उत्तराधिकारी थे।

9. स्त्रियों को गृह-बन्धन से मुक्ति मिली है, वे आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से स्वतन्त्र हुई हैं। अब पत्नियों एवं पुत्रियों को पिता व पति से स्वतन्त्र धनोपार्जन की छूट मिलने लगी है।
10. परिवार में विघटन कुछ बढ़ा है। दिन-प्रतिदिन तलाकों में वृद्धि होने लगी है।
11. नातेदारी का महत्व घटा है और लोग रिश्तेदारों से दूर भागने लगे हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आधुनिक परिवार परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। उसकी संरचना और प्रकार्यों को आधुनिक परिवर्तनकारी शक्तियों ने परिवर्तित किया है फिर भी उसकी समाप्त होने की कोई सम्भावना नहीं है।

निष्कर्ष:-

अनादि काल से परिवार को समाज की आधारभूत इकाई माना जाता रहा है। मानव समाज के लिए परिवार न केवल आवश्यक है, अपितु एक सुरक्षित एवं आदर्श संस्था भी है, क्योंकि यह समाज की निरंतरता को बनाये रखने का एक प्रमुख माध्यम है। एक सर्वव्यापी संस्था के रूप में अतीत में परिवार ने इतने महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं कि इन्हीं कार्यों के कारण परिवार को “सामाजिक जीवन का मौलिक प्रतिनिधि” माना जाता है। आज इन्हीं कार्यों में परिवर्तन उत्पन्न हो गये हैं। भोजन, आवास और यौन संतुष्टि जैसे मौलिक कार्य आज के आधुनिक परिवार भी करते हैं, लेकिन इन कार्यों को करने की विधियाँ एवं इनसे संबंधित मूल्यों में परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन यह परिवर्तन पश्चिमी परिवारों में होने वाले परिवर्तन की तरह आमूल-चूल परिवर्तन नहीं है।

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

1. कुमार. डॉ. (1933) “प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी (पब्लिकेशन) आगरा: लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, पब्लिशर्स.
2. बोटोमोर, (1962) टी.बी. सोशियोलॉजी ए गाइड टू प्रोब्लम्स एण्ड लिटेरेचर (पब्लिकेशन, बॉम्बे ब्लैकी एण्ड सन इण्डिया, लि. पब्लिशर).
3. हारालैम्बोस एण्ड हॉलबार्न, 1972 “सोशियोलॉजी थीम्स एण्ड पर्सपेक्टिविज (पब्लिशड वाइ

यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस बर्कले एण्ड लॉस एंजलेक्श, कैलिफोर्निया, यू.एस.ए.).

4. अब्बी, बी.एल. 1969 “अरबन फैमली इन इण्डिया”, कॉन्ट्रिब्यूशन टू इण्डियन सोशियोलॉजी न्यू सिरीज.
5. एडम्स, बी.एन. 1967 “ऑकुपेशनल पोजिशन मौबिलिटी एण्ड द किनाशिप ऑफ ऑरिएन्टेशन,” अमेरिकन सोशियोलॉजीकल रिव्यू, खंड 32.
6. अग्रवाल, एस.एन. (1962) “एज ऑफ मैरेज इन इण्डिया”, इलाहाबाद, किताब महल, अय्यर, सी.एस. (1921) “द हिंदू ज्वाइंट फैमली”, लंदन जरनल.
7. बैग तारा अली (1958) “द फैमली एंड द होम” दिल्ली पब्लि. डिविजन.
8. कोजर, आर.एल. (1964) “द फैमली इट्स स्ट्रक्चर एण्ड फंक्शन”, न्यूयार्क, संत मार्टिन प्रेस.
9. जॉनसन, एम. हेरी (1970) “समाजशास्त्र एक विधिवत विवेचन” (कल्याणी पब्लिशर्स लुधियाना)
10. दुबे, श्यामाचरण (2001). “भारतीय समाज” (नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया).
11. शर्मा, के.एल. (2006) “भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन” (रावत पब्लिकेशन).

Corresponding Author

Mamta Kumari*

Research Scholar, Shri Venkateshwara University,
Gajraula, Uttar Pradesh